XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय

बासगीत पर्चा वाद संख्या 01/2000–01

(धारा 21 B.P.H.T. Act के अंतर्गत)

श्री विश्वनाथ चौधरी, पिता–स्व0 कमल चौधरी, सकिन–ब्रह्मज्ञानी, थाना–भवानीपुर, जिला–पूर्णियाँ ..... आवेदक

बनाम

श्री कल्लर मोदी, पिता–स्व0 असर्फी मोदी, साकिन–ब्रह्मज्ञानी, थाना–भवानीपुर, जिला– पूर्णियाँ.....विपक्षी

आ दे श

उपरोक्त वाद विद्वान अंचल अधिकारी, भवानीपुर द्वारा मौजा ब्रह्मज्ञानी खाता नं0–22, खेसरा नं0–28, रकवा–8 डिसमल जमीन का बासगीत पर्चा विपक्षी के नाम से निर्गत आदेश को रद्द करने हेतु आवेदक द्वारा इस न्यायालय में लाया गया है। आवेदक के पास मात्र 23 डिसमिल वास के लिए है। जबकि विपक्षी के पास अपना वास का जमीन है। जिस पर घर बनाकर वह सपरिवार रह रहा है। विपक्षी के नाम से वासगीत वाद संख्या 204/92–93 द्वारा बना वासगीत पर्चा पुर्णतः अवैध तरीके से बना है। अंचल निरीक्षक ने भी स्थल निरीक्षण कर अपने प्रतिवेदन में अंकित किया है कि विपक्षी का घर अन्य खेसरा की जमीन में है और प्रश्नगत जमीन से विपक्षी का कभी कोई संबंध नहीं रहा है। विद्वान अंचल पदाधिकारी के समक्ष विपक्षी ने स्वयं स्वीकार किया कि पर्चा बनाने के अभियान के क्रम में गलती से पर्चा मेरे नाम से बन गया है। इस जमीन से मुझे कोई मतलब नहीं है और मै आवेदक को जमीन लौटाने के लिए तैयार हूँ।

अतः आवेदक उक्त वासगीत पर्चा को रद्द करने के लिए इस न्यायालय में अनुरोध किया गया।

इस वाद की सुनवाई दिनांक 24.01.2011 को किया गया। आवेदक के द्वारा बताया गया कि चुँकि विपक्षियों को विधिवत सूचना तामिला कर दिया गया है एवं इसके बावजूद भी विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है। इसलिए इस वाद में एकतरफा सुनवाई किया जाए। तदनुसार दिनांक 24.01.2011 को विपक्षी को उपस्थित रहने का अंतिम मौका देते हुए सुनवाई की गयी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अंचल अधिकारी भवानीपुर के द्वारा भी इस वासगीत पर्चा को निर्गत करने में गलती होने के बात स्वीकार करते हुए निर्गत वासगीत पर्चा को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

पुनः दिनांक 04.03.2011 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई।

सुनवाई के बाद एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि–सम्मत नहीं है। अतः आवेदक के आवेदन को स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज किया जाता है।

इस निर्णय के साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ